UPBJ010070812022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–प्रकाश चन्द्र शुक्ला, (एच0जे0एस0)–यू.पी.1625

दीवानी अपील संख्या–77/2022

1– राजपाल सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम मौहम्मद अलीपुर अभयचन्द उर्फ नंगला, परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

2– भीम सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश, निवासी ग्राम मौहम्मद अलीपुर अभयचन्द उर्फ नंगला, परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

.. अपीलार्थीगण।

बनाम

1– महेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह,

2– उदयवीर सिंह पुत्र घासी सिंह,

3– योगेन्द्रपाल सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह।

4– निर्मला बेवा महेन्द्रपाल सिंह,

निवासीगण ग्राम केदारपुर मौहड़ी, परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। .... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत सिविल अपील विद्वान विचारण न्यायालय– सिविल जज, (सी0 डि0)/लघुवाद न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा मूलवाद संख्या–180/2001, राजपाल सिंह बनाम महेन्द्रपाल सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांकित 03.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं।

2– संक्षेप में **मूलवाद संख्या–180/2001** के **वादपत्र** के कथन इस प्रकार हैं कि वादी के पिता स्व0 रघुनाथ सिंह के पांच पुत्र स्व0 प्रकाशचंद, विजयपाल, ऋषिपाल, बाबू सिंह व राजपाल सिंह हुये एवं स्व0 प्रकाशचंद के पुत्र भीम सिंह हुए जिनकी संरक्षिका श्रीमति चमनो उनकी माता हुई। स्व0 रघुनाथ सिंह की आराजी पांचों पुत्रों में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद विभाजित हो गयी। यह कि प्रतिवादी सं0 3 महेन्द्रपाल सिंह का देहांत दौरान मुकदमा हो गया है। उनके देहांत की सूचना

Digitally signed by PRAKASH CHANDRA SHUKLA
Date: 2024.05.29 13:38:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 27.05.2011 को वकील प्रतिवादी ने दी है। उनके वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण सं0 3/1 व 3/2 को फरीक मुकदमा बनाया गया है। खसरा नं0 53 'अ' रकबई 3 बीघा 17 बीसा 19 बिसवांसी पुख्ता एवं खसरा नं0 53 'ब' रकबई 12 बीघा 15 बीसा 9 बिसवांसी पुख्ता स्थित ग्राम मौहम्मद अलीपुर अभयचन्द उर्फ नंगला, परगना व तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर, के स्व0 रघुनाथ सिंह पूर्ण रूप से संपूर्ण भाग के स्वामी थे। खसरा नंबरान 53 'अ' तथा 53 'ब' के अतिरिक्त खसरा नंबर 51 रकबई 0.379 हैक्टेयर एकड़ में 1/3 भाग पिता वादी का था। पिता की मृत्यु के बाद उक्त तीनों खसरा नंबरान में प्रत्येक पुत्र का हिस्सा 1/5 भाग पर समान रूप से हो गया। वादी अपने भाईयों में सबसे छोटा है। सबसे बड़े भाई प्रकाशचंद का देहांत सन् 1991 में होने पर उनका एकमात्र पुत्र भीम सिंह मालिक हुआ। प्रकाशचंद की मृत्यु के समय भीम सिंह की आयु करीब 6 साल थी। अवयस्क पुत्र भीम सिंह की संरक्षिका माता श्रीमति चमनादेवी हुई। जब प्रकाशचंद का नाम माल विभाग के सरकारी कागजात में काटकर भीम सिंह का नाम दर्ज हुआ तभी उसकी संरक्षिका माता का नाम नाबालिग की संरक्षक के रूप में दर्ज किया गया। वादी के बड़े भाई प्रकाशचंद की विधवा मु0 चमनो देवी को अपने घर में रखने का ख्याल वादी के बड़े भाई विजयपाल व ऋषीपाल के मन में आ गया हालांकि दोनों शादीशुदा थे जिसका मु0 चमनो देवी ने विरोध किया। बाबू सिंह ने कोई सहायता चमनो देवी की नहीं की। वादी को अपनी विधवा भाभी पर तरस आया और उसने उसकी मदद करनी चाही जिस मदद के करने में वादी की जमीन प्रतिवादी नं0 1 ने धोखे से प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के साथ हमसाज होकर बैनामा लिखा लिया जबकि वादी ने अपने ज्ञान में कोई बैनामा प्रतिवादी नं0 1 को नहीं किया। वादी के स्व0 भाई प्रकाशचंद के मित्रता प्रतिवादी सं0 3 से अपने जीवन में रही दोनों का एक दूसरे के पास आना जाना एवं दूसरे के काम आना होता था। स्व0 प्रकाशचंद ने अपने हिस्से की जमीन पर बैंक से ऋण लिया था। जो उसने अपने जीवन काल में ही अदा कर दिया था किंतु तहसील कागजात में ऋण नहीं कटा था। विजयपाल ने उक्त ऋण को पुनः वसूल कराने का फर्जी दवाब चमनो पर तहसील अमीन हल्का से बनवाया जिस दवाब के कारण अमीन ने चमनो व उसके नाबालिग पुत्र भीम सिंह को जेल भेजने की धौंस दी। उस डर से चमनो ने प्रतिवादी सं0 3 महेन्द्रपाल सिंह से कहा महेन्द्रपाल सिंह ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से मिलकर वादी एवं भीम सिंह की कृषि भूमि हड़पने की योजना बनाते हुए चमनो देवी से यह कहकर कि उसकी ओर से तहसील में कर्जा अदा हो चुकने की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, जिस पर किसी भी परिवार के खातेदार से गवाही करानी पड़ेगी। प्रतिवादी सं0 3 की बात मानकर जब चमनो देवी एवं प्रतिवादी नं0 3 ने वादी

से तहसील चलने को कहा। वादी एक सीधा सादा अनपढ़ समान कृषक का लाभ उठाते हुये दरख्वास्त के बहाने इकरारनामा बना लिया जिस इकरारनामे के द्वारा भीम सिंह की आराजी का इकरारनामा उसकी माता चमनो देवी से प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में तथा वादी की कृषि भूमि का हिस्सा वाली आराजी का प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में कातिब व टाईपिस्ट की हमसाजगी से धोखे से दिनांक 24.02.1995 को तैयार करा लिया जबकि वादी या चमनो देवी ने अपने ज्ञान में अपनी कोई किसी प्रकार की संपत्ति या कृषि भूमि बेचने का इकरारनामा नहीं किया। प्रतिवादी नं0 3 ने वादी एवं उसकी भाभी मु0 चमनो देवी से संपर्क जारी रखा और करीब एक माह बाद तहसील में चलकर कर्ज की एन्ट्री को करवाने का बहाना बनाते हुए दिनांक 27.03.95 को मु0 चमनो के साथ वादी को गवाही में हस्ताक्षर हेतु तहसील धामपुर ले आया और तहसील में ले जाकर वादी से गवाही के हस्ताक्षर बताते हुए चमनो देवी के साथ संयुक्त बैनामा दिनांक 27.03.95 तैयार करा लिया जिसकी कोई राशि चमनो या वादी को कभी भी प्राप्त नहीं हुई, न कभी अपने ज्ञान में चमनो या वादी ने अपनी जमीन का बैनामा किया, केवल धोखे पर आधारित बैनामा लिखाकर प्रतिवादी सं0 2 के साथ प्रतिवादी सं0 3 ने मु0 चमनो की ओर से भीम सिंह के हिस्से का बैनामा कराया। नाबालिग भीम सिंह की जमीन बेचने की इजाजत जिला जज महोदय बिजनौर से प्राप्त नहीं की गयी, न भीम सिंह का किसी भी अदालत से संरक्षक नियुक्त कराया, न भीम सिंह के नाम कोई रूपया जमा हुआ, न भीम सिंह के नाम कोई जायदाद प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने क्रय कर के दी। इस प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं की पूर्ति किये बिना भीम सिंह नाबालिग की माता से भी फर्जी बैनामा विधि विरूद्ध रूप से कराया और उसके कर्जे के झांसे में वादी से भी बराबर चुपचाप प्रतिवादीगण ने अपने नाम दाखिल खारिज बाला बाला रूप से करीब दो वर्ष बाद कराया जिसका ज्ञान वादी को कदापि नहीं हुआ। वादी द्वारा मु0 चमनो की सहायता से वादी के भाई विजयपाल व ऋषिपाल ने इतना झगड़ा उठाया कि वादी एवं उसकी भाभी का गांव में रहना मुश्किल हो गया है तब प्रतिवादी नं0 3 ने वादी एवं उसकी भाभी को सलाह दी कि कुछ दिन गांव छोड़कर कहीं दूर रहना शुरू करें अन्यथा कत्ले आम हो सकते हैं। इस कारण वादी अपनी भाभी के साथ आकर ग्राम आलमपुर एड़वा रहने लगा। प्रतिवादीगण ने उक्त बैनामे के आधार पर अपना नाम कागजात में चलते हुए भी मौके पर वादी अथवा उसके भतीजे भीम सिंह की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि गत वर्ष जब भीम सिंह के हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहा तो उसकी ओर से एक मूलवाद न्यायालय सिविज जज सी0डि0, बिजनौर में मूलवाद सं0 242/2000 भीम सिंह बनाम महेन्द्र सिंह प्रस्तुत किया। उक्त वाद का सम्मन जब वादी को मिला

तब यह तथ्य ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण ने वादी सहित उसके भतीजे की भूमि का एक फर्जी बैनामा धोखे से लिखा लिया है। उक्त जानकारी होने की दशा में वादी ने प्रतिवादीगण से संपर्क किया और काफी आग्रह किया कि वह बैनामा दिनांकित 27.03.95 को निरस्त कराते हुए वादी एवं उसके भतीजे के हक में आराजी लौटा दे। पहले तो प्रतिवादीगण आपस में बातचीत का बहाना बनाकर टाल मटोल करते रहे और अब गत सप्ताह दिनांक 12.02.2001 को मुकदमे की तारीख से लौटकर कतई मनाकर दिया ऐसी दशा में वाद योजित करने के अतिरिक्त वादी के पास अन्य कोई विकल्य शेष नहीं है। वाद का कारण सर्वप्रथम पिता वादी से जमीन वादी एवं उसके भाईयों के पास विरासतन पहुंचकर भूमिधर मालिक, काबिज बनने से वादी के भाई द्वारा अपने जीवन में ऋण लेकर अदा करने पर भी राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आने से, भाई की मृत्यु पर उसकी विधवा को अपने देवरों के द्वारा परेशान करने एवं हल्का अमीन से जेल भिजवाने की धौंस दिलवाने पर प्रतिवादी सं0 3 से पूर्व संबंधों के आधार पर सहायता मांगने के कारण कर्ज माफी की दरख्वास्त दिलाने के बहाने इकरारनामा धोखे से दिनांक 24.02.1995 को तैयार कराने से और दिनांक 27.03.95 में फर्द में कर्ज की एन्ट्री कटवाने का बहाना बनाकर बैनामा धोखे से तैयार करा लेने से, वादी को अपने बड़े भाई के साथ झगड़े से बचाने की सलाह में अन्यंत्र कुछ दिनों बाहर चला जाने की सलाह देने से, इसके बाद दिनांक 03.02.97 को दाखिल खारिज आदेश चलते रहने से, गत वर्ष माह मार्च में कब्जा भीम सिंह से प्राप्त करने का प्रयास करने पर, भीम सिंह द्वारा न्यायालय सिंह नामक मूलवाद सं0 242/2000 दायर होकर वादी को समन मिलने पर उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होने के कारण प्रतिवादीगण से बैनामा दिनांक 27.03.1995 को निरस्त कराने की फरियाद करने पर लगातार टालते रहने से, कब्जा आराजी विवादित पर करने की धौंस देने से, अंतिम बार दिनांक 20.02.2001 को प्रतिवादीगण के द्वारा बैनामा निरस्त कराने को कतई मना कर देने से उत्पन्न हुआ है जो न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है जिसका माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

3– प्रतिवादी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा क्रमशः अपने **प्रतिवाद पत्र क–110** व **क–109** के माध्यम से वादी के अभिवचनों को सिरे से अस्वीकार करते हुए विशेष कथन किया है कि वादी को कोई वाद को हेतु प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ और न सही तौर पर प्रदर्शित किया गया। दावा अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खण्डित होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी का बैयनामा दिनांक 26.05.95 को होने से पूर्व इसका इकरारनामा मुहायदा बैय दिनांक 24.02.95 को पचास हजार रूपये बतौर बयाना देकर तहरीर व तकमील व रजिस्ट्री हुआ था

तथा वादी व भीम सिंह के हिस्से की आराजी एक लाख पछहत्तर हजार रूपये में बेचना प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 से तय हुई थी, जिसमें मियाद 6 माह तय हुई थी। वादपत्र में लिखना कि वादी के बड़े भाई प्रकाशचंद उर्फ चन्द्रप्रकाश की मृत्यु सन् 1991 में हुई थी तथा उससे प्रतिवादी सं0 3 की मित्रता थी और आना जाना था, सही नहीं है। चंद्रप्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन पर बैंक से ऋण लिया था और दो बीघा कच्ची जमीन बेच कर ऋण अदा कर दिया था इसलिए ऋण को पुनः वसूल कराने का दवाब देने का प्रश्न ही नहीं है और न ऐसा कोई दबाव दिया गया, न कोई वसूली कार्यवाही लंबित थी, इसलिए वादपत्र में लिखना कि तहसील कागजात में ऋण नहीं कटा था और दबाव चमनो पर तहसील हल्का से बनवाया और भीम सिंह को जेल भेजने की धौंस दी, सही नहीं है तथा महेंद्रपाल सिंह प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा इस बावत कहने का प्रश्न नहीं है। वादी पढ़ा लिखा व होशियार व्यक्ति है तथा बहुत बदनियत भी है। वादपत्र में यह कहना कि प्रतिवादी सं0 3 ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 से मिलकर वादी व चमनो देवी को तहसील में कर्जा चुकाने की दरख्वास्त देने के लिए और खातेदार की गवाही के लिए गया था और दरख्वास्त के बहाने इकरारनामा कातिब व टाईपिस्ट से हमसाजी से धोखे से दिनांक 24.02.95 को तैयार करा लिया, सही नहीं है बल्कि नियमानुसार स्टाम्प खरीद कर तथा पचास हजार रूपये विक्रय धनराशि में से बतौर बयाना वादी व श्रीमति चमनो देवी को देकर इकरारनामा मुहायदा बय तहरीर व तकमील व रजिस्ट्री हुआ था, जो कार्यालय सब रजिस्ट्रार धामपुर में रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार के सामने हुआ था तथा कातिब ने लिखने के बाद इसे पढ़कर सुनाया व समझाया था और रजिस्ट्रार ने भी सुनाया व समझाया था और सब रजिस्ट्री हुआ था तथा धामपुर में तहसील कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय से अलग व दूरी पर है और यदि दरख्वास्त लिखी जाती तो उस पर स्टाम्प लगाने का प्रश्न ही नहीं था तथा वादपत्र के पैरा सं0 6 में यह लिखना कि करीब एक माह बाद कर्ज की एन्ट्री करवाने का बहाना करके दिनांक 27.03.95 को बैयनामा करा लिया, जिसकी कोई राशि चमनो या वादी को प्राप्त नहीं हुई तथा इनके ज्ञान में जमीन का बैयनामा नहीं किया, सही नहीं है। चूंकि बैयनामा दिनांक 27.03.95 को नहीं हुआ बल्कि 26.05.95 को तहरीर व तकमील व रजिस्ट्री शेष धनराशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये वादी व श्रीमति चमनो ने प्राप्त कर सुन व समझकर गवाहान के सामने रजिस्ट्री कराया था जिसके लिए भीम सिंह की जमीन बेचने की इजाजत लेना आवश्यक नहीं था और न इस बाबत अथवा रजिस्ट्रार ने इजाजत लेना आवश्यक होना बताया था। बैयनामा हरगिज फर्जी, विधि विरूद्ध, अथवा कर्ज के झांसे में नहीं कराया गया तथा दाखिल खारिज भी विक्रेतागण के पूर्ण ज्ञान में उनकी सहमति से

कराया गया जो हरगिज बाला बाला नहीं कराया गया। चन्द्रप्रकाश की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी श्री मति चमनो वादी के साथ बतौर पत्नी रहने लगी थी जो अविवाहित था, इस कारण उसके बड़े भाई उससे रंजिश रखने लगे थे और वादी व भीम सिंह की आराजी का विक्रय करके इन्हें दूसरी जगह जाना इनकी जान व माल के हितों व पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक व हितकारी था इसलिए पर्याप्त कीमत मिलने पर बैयनामा प्रतिवादीगण को किया गया जिसके आधार पर प्रतिवादीगण का कब्जा खरीदी गयी आराजी पर चला आता है और वह मालिक व काबिज व अधिकारी चले आते हैं इसलिये वादी दावा दायर करने व कोई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी मय हर्जे व खर्चे खण्डित होने योग्य है।

4— अपने अभिवचनों के समर्थन में वादी ने सूची 8 ग से फोटो स्टैट विक्रयपत्र दिनांकित 27.05.1995 इकरारी वादी बहक महेंद्र सिंह प्रपत्र सं0 ग 9/1 ता 3, फोटो स्टैट फर्द खतौनी बावत दाखिल खारिज बहक प्रतिवादी सं0 1 महेंद्र सिंह दिनांकित 03.02.1997 प्रपत्र सं0 ग 10 प्रस्तुत की है। सूची ग 96 से सत्यप्रतिलिपि विक्रयपत्र इकरारी राजपाल सिंह बहक महेंद्र सिंह दिनांकित 26.05.95/24.06.95 प्रपत्र सं0 ग 97/1 ता 4, सत्यप्रतिलिपि फर्द खतौनी वर्ष फसली 1422—1427 दो किता प्रपत्र सं0 ग 98/1 व 2 प्रस्तुत की हैं। सूची ग 100 से फर्द खतौनी बावत फसली वर्ष 1398—1403 ग्राम मौ0 अलीपुर अभयचंद प्रपत्र सं0 ग 100/1, नकल खतौनी मौ0 अलीपुर अभयचंद बावत फसली 1398 से 1403 प्रपत्र सं0 ग 100/2 प्रस्तुत की हैं। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी ने बतौर पी0डब्लू0—1 स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र क 106 एवं बतौर पी0डब्लू0—2 चमनों देवी का साक्ष्य शपथपत्र क 116 पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं।

5— अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादी ने सूची 69 ग से फोटो स्टैट मृत्यु प्रमाणपत्र मृतक प्रतिवादी सं0 3 महेंद्रपाल सिंह प्रपत्र सं0 ग 70 प्रस्तुत की है।

6— प्रतिवादी सं0 2, 3/1 व 3/2 की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय आदेश दिनांकित 08.10.2013 द्वारा वाद की कार्यवाही उनके विरूद्ध एकपक्षीय अग्रसारित की गयी। न्यायालय आदेश दिनांकित 09.10.2017 द्वारा समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

7— विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से बहस सुनने के उपरांत प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 03.09.2022 पारित करते हुए

अपीलार्थी/वादी का मूल वाद संख्या–180/2001 निरस्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित की गयी हैं।

8– उक्त निर्णय से क्षुब्द्व होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा दीवानी अपील प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पक्षकारों की पैतृक सम्पत्ति है। वादी के स्व० पिता रघुनाथ सिंह के पांच पुत्र स्व० चन्द्रप्रकाश, विजयपाल, ऋषिपाल, बाबू सिंह तथा राजपाल सिंह हुए तथा चन्द्रप्रकाश का पुत्र भीम सिंह हुआ, जिसकी संरक्षिका श्रीमति चमनों देवी उसकी माता हुई। स्व० रघुनाथ सिंह की आराजी बजरियें विरासत पांचों पुत्रों को रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद विरासतन वंशावली के अनुसार प्राप्त हुई जैसा कि सबूत मिसल से बखूबी साबित है। भीम सिंह नाबालिग था, उसकी वलिया माता चमनों देवी हुई। महेन्द्रपाल सिंह का देहान्त दौरान मुकदमा हो गया, जैसा कि सबूत मिसल से साबित है, उसके वारिसान 3/1 व 3/2 को फरीक मुकदमा बनाया गया है, खसरा नं0 53 (अ) तथा खसरा नं० 53 (ब) स्थित ग्राम मौहम्मद अलीपुर अभयचन्द उर्फ नंगला के मालिक काबिज स्व० रघुनाथ सिंह थे, जिसमें खसरा नं0 51 रकबई 0.389 है0 में 1/3 भाग पिता वादी का था, जिसकी मृत्यु के बाद उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान में प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग समान रूप से हुआ। वादी अपने भाईयों में से सबसे छोटा था। नाबालिग भीम सिंह की संरिक्षका उसकी माता चमनों देवी थी। चन्द्रप्रकाश का नाम कागजात माल में काटकर भीम सिंह का नाम दर्ज हुआ तभी उसकी संरिक्षका माता का नाम संरक्षक के रूप में दर्ज किया गया। वादी के बड़े चन्द्रप्रकाश की विधवा मुसम्मात चमनों देवी को रखने के लिए वादी के बड़े भाई ऋषिपाल व विजयपाल के मन में खोट आ गया था हालांकि ये दोनों शादीशुदा थे, जिसका मुसम्मात चमनों देवी ने विरोध किया था। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादी को अपनी विधवा भाभी पर तरस आया और उसने उसकी मदद करनी चाही, जिस मदद के करने में वादी की जमींन प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 से हमसाज होकर धोखाधड़ी व चालाकी से बैनामा लिखा लिया, जो फर्जी बिला बदल है, उससे कोई अधिकार वादी को प्राप्त नहीं होता है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि प्रतिवादीगण नं0 2 व 3 से हमसाज होकर बैनामा लिखाया, जबकि वादी ने अपने ज्ञान में कोई बैनामा प्रतिवादी नं0 1 को नहीं किया है। उक्त कथित बैनामा बिला बदल व फर्जी है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादी के स्व० भाई चन्द्रप्रकाश की मित्रता प्रवितादी नं० 3 से अपने जीवन में रही है। दोनों का एक–दूसरे के पास आना–जाना व एक–दूसरे के काम आना होता था। स्व० चन्द्रप्रकाश ने अपने हिस्से जमीन पर बैंक से ऋण लिया था, जिसे उसने अदा कर

दिया था किन्तु तहसील के कागजात में ऋण की अदायगी होने का इन्द्राज नहीं किया गया था, जिस कारण विजयपाल ने उक्त ऋण को पुनः वसूल कराने का फर्जी दबाव चमनों देवी पर तहसील अमीन हल्का से बनवाया, जिस दबाव के कारण अमीन ने चमनों देवी व उसके नाबालिग पुत्र भीम सिंह को जेल भेजने की धौंस दी थी। यह बात इस डर से चमनों देवी ने प्रतिवादी नं० 3 महेन्द्रपाल सिंह से कहा कि महेन्द्रपाल सिंह ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 से मिलकर भीम सिंह की कृषि भूमि हड़पने की योजना बनाते हुए चमनों देवी से यह कहकर कि उसकी ओर से तहसील में कर्जा अदा हो जाने की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, जिस पर किसी भी खातेदार से गवाही करानी पड़ेगी। प्रतिवादी नं0 3 की बात मानकर जब चमनों देवी एवं प्रतिवादी नं0 3 ने वादी से तहसील चलने को कहा, वादी एक सीधा सादा अनपढ़ कृषक है। उक्त दरख्वास्त दिलाने के बहाने से फर्जी इकरारनामा बना लिया है। उसकी माता चमनों देवी से प्रतिवादी नं० 3 के पक्ष में तथा वादी की कृषि भूमि के हिस्से वाली आराजी का टाईपिस्ट व कातिब की हमसाजगी से धोखाधड़ी से दिनांक 24.02.1995 को इकरारनामा तैयार करा लिया जबकि वादी या चमनों देवी ने अपने ज्ञान में अपनी कोई किसी प्रकार की सम्पत्ति या कृषि भूमि बेचने का इकरारनामा नहीं किया है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि प्रतिवादी नं० 3 ने वादी एवं उसकी भाभी चमनों देसी से सम्पर्क जारी रखा और करीब एक महीने बाद तहसील में चलकर कर्जे की एन्ट्री का बहाना बनाते हुए दिनांक 27.03.1995 को मुसम्मात चमनों देवी के साथ वादी को गवाही में हस्ताक्षर हेतु तहसील धामपुर ले गये। यह तथ्य बखबी सबत मिसल से साबित है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादी से गवाही के हस्ताक्षर बताते हुए चमनों देवी के साथ संयुक्त बैनामा दिनांक 27.03.1995 तैयार करा लिया, जिसकी कोई राशि चमनों देवी या वादी को कभी प्राप्त नहीं हुई और न ही कभी अपने ज्ञान में चमनों देवी या वादी ने अपनी जमीन का बैनामा किया है। यह बात भी बखूबी सबूत मिसल से साबित है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि चमनों देवी या वादी ने अपनी जमीन का बैनामा किया, जो केवल धोखें पर आधारित है। बैनामा लिखाकर प्रतिवादी नं0 2 के साथ प्रतिवादी नं० 3 ने मुसम्मात चमनों देवी की ओर से भीम सिंह नाबालिग के हिस्से का बैनामा कराया, नाबालिग भीम सिंह की जमीन बेचने की अनुमति माननीय जिला जज महोदय, बिजनौर से चमनों देवी ने प्राप्त नहीं की थी। चमनों देवी को नाबालिग भीम सिंह के हिस्से का बैनामा करने का हक नहीं था। उक्त बैनामा अवैध शून्य फर्जी है। भीम सिंह का किसी भी अदालत से कोई व्यक्ति संरक्षक नियुक्त नहीं हुआ है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि नाबालिग भीम सिंह के नाम से

कोई रूपया जमा नहीं हुआ है और न ही कोई भीम सिंह के नाम कोई जायदाद प्रतिवादीगण नं0 2 व 3 की कय की है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि नाबालिग भीम सिंह की सम्पत्ति उसकी माता चमनों देवी को बेचने का हक नहीं है। उक्त बैनामा अवैध शून्य है, उससे खरीदारान को कोई हक प्राप्त नहीं होता है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि चमनों देवी की सहायता से वादी के भाई विजयपाल व ऋषिपाल ने बहुत रूगड़ा उठाया, जिसके कारण वादी तथा उसकी भाभी का ग्राम में रहना कठिन हो गया था, तब प्रतिवादी नं0 3 ने वादी एवं उसकी भाभी को सलाह दी कि कुछ दिन के लिए गांव छोड़कर दूर जाकर रहना शुरू करें। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादी के भाई द्वारा अपने जीवनकाल में ऋण लेकर परेशान करने के लिए तथा हल्का अमीन से जेल भिजवाने की धौंस दिलाने पर प्रतिवादी नं० 3 से पहले सम्बन्धों के आधार पर सहायता मांगने के कारण कर्ज माफी की दरख्वास्त दिलाने के बहाने से इकरारनामा दिनांक 24.02.1995 को तैयार कराने से और दिनांक 27.03.1995 में कर्जे की एन्ट्री कटवाने के बहाना बनाकर बैनामा धोखे से तैयार करा लेने से वादी को अपने बड़े भाई को झगड़े से बचाने की सलाह में अन्य जगह बाहर चले जाने की सलाह देने से प्राप्त है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादी द्वारा विवादित बैनामा मन्सूखी की कार्यवाही करने से तथा प्रतिवादी द्वारा सुनवा न होने से वाद का कारण प्राप्त है। प्रश्नगत बैनामा फर्जी बिला बदल है। यह बात भी बखूबी सबूत मिसल से साबित है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि प्रश्नगत बैनामा धोखाधड़ी करके निष्पादित कराया गया है, उसका कोई धनराशि मूल्य वादी या चमनों देवी को अदा नहीं किया है तथा यह सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि नाबालिग भीम सिंह की जमीन को बेचने की इजाजत जिला जज, बिजनौर से प्राप्त नहीं की गयी है, उक्त बैनामा अवैध शून्य है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि बजरियें इकरारनामा 50,000/– रू० राजपाल सिंह व भीम सिंह द्वारा संरक्षिका माता चमनों देवी व महेन्द्रपला सिंह व कृपाल सिंह आदि को प्राप्त कर चुके हैं, गलत है। इस बारे में निर्णय विचारण न्यायालय गलत है और परवर्श है तथा बैनामें के समय भी 1,25,000/–रू० दिनांक 26.05.1995 को प्राप्त करना बताना गलत है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि प्रश्नगत बैनामें पर साक्ष्य अधिनियम के तहत 25 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण बैनामा निष्पादित करने वालें व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में अनुप्रमाणित होना समझा जायें। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम 24 सन् 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस प्रकरण में भारतीय अधिनियम 1872 की धारा–114ई के

प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि वादीगण ने बैनामें और इकरारनामें के निष्पादन को स्वीकार नहीं किया है। इस बारे में विचारण न्यायालय का निर्णय गलत है। सबूत मिसल से यह बात भी बखूबी साबित है कि दाखिल खारिज के आदेश से अधिकार निर्णित नहीं होते है। पक्षकारों के अधिकार भी निर्णित नहीं होते हैं। समरी किस्म की कार्यवाही होती है। इस बारे में विचारण न्यायालय का निर्णय गलत है और काबिले मन्सूखी है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील सव्यय स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद नं0 180/2001 राजपाल सिंह आदि बनाम महेनद्र सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 को अपास्त व निरस्त किया जाकर मूलवाद को बमय खर्चे के डिक्री किया जायें, और अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझें बहक वादी अपीलार्थीगण प्रदान की जायें।

9– अपीलार्थीगण द्वारा सूची ग–7 से नकल निर्णय दिनांकित 03.09.2022 मूलवाद संख्या–180/2001 ग–8/1 ता 8/5 व सूची ग–12 से नकल डिक्री उपरोक्त वाद ग–13/1 ता 13/3 प्रस्तुत किया गया है।

10– प्रत्यर्थीगण पर तामीला पर्याप्त माना गया परंतु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

11– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्णय से पूर्व बहस का अवसर दिया गया परंतु उनके द्वारा कोई बहस नहीं किया गया।

12– मूल वाद एवं अपील की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

13– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपील स्वीकार करने की याचना की गयी।

14– उपरोक्त के आधार पर पक्षकारों की बहस एवं अभिवचनों तथा साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु विरचित किए जाते हैं–

1– **क्या धारा 90 एवं धारा–114(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान वर्तमान प्रकरण में आकृष्ट होते हैं और प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 27.03.1995 उपरोक्त प्राविधान के तहत संरक्षित है ?**

2– **क्या वादपत्र में वर्णित छल से संबंधित तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा साबित किया गया है ?**

3– **क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.09. 2022 विधिसम्मत हैं ?**

निष्कर्ष

15– निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–1

क्या धारा 90 एवं धारा–114(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान वर्तमान प्रकरण में आकृष्ट होते हैं और प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 27.03.1995 उपरोक्त प्राविधान के तहत संरक्षित है ?

वादी द्वारा वाद बैनामा दिनांकित 27.03.1995 को अपास्त करने हेतु एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी की तरफ से प्रश्नगत बैनामा की छायाप्रति और बाद में सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया गया। यह बैनामा राजपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह एवं भीम सिंह जरिये संरक्षिका चमनो देवी द्वारा गाटा संख्या 53अ, 53ब व 51 के संदर्भ में महेन्द्र सिंह के पक्ष में किया गया है। उसी बैनामा को निरस्त कराने हेतु वाद सिर्फ राजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चमनो देवी अथवा भीम सिंह द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्ष 2001 के वाद में उपरोक्त बैनामा को 20 वर्ष से ज्यादा अवधि का पाया है। वादी ने बैनामा के निष्पादन को इंकार नहीं किया है और साक्षी संख्या 1 व 2 ने भी उसकी पुष्टि किया है लेकिन बैनामे को छल द्वारा प्राप्त करना कहा है। उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम 24/1954 के द्वारा धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 30 वर्ष की अवधि के स्थान पर 20 वर्ष की अवधि की गई है। धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह उपबंधित करता है कि जहॉ कि कोई दस्तावेज जिसका तीस वर्ष पुराना होना साबित किया गया है वहॉ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अनुभाग जिसका किसी विशिष्ट के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित किया जा सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित था, जिनके द्वारा उसका निष्पादित होना अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है और धारा–114(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह वर्णित है कि न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगी जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के बारे में वह सम्भाव्य समझती हो। इस प्रकार समस्त न्यायिक एवं पदीय कार्य के नियमित रूप से सम्पादित किये जाने की उपधारणा की जा सकती है। अपील मेमो के प्रस्तर 17 में यह वर्णित है कि प्रश्नगत बैनामें पर साक्ष्य अधिनियम के तहत 25 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण बैनामा निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के संबंध में अनुप्रमाणित होना समझा जायेगा लेकिन इस प्रकरण में उत्तर

प्रदेश संशोधन अधिनियम व धारा–114(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। वादीगण ने बैनामे के निष्पादन को स्वीकार नहीं किया है। अपील मेमो में वर्णित उपरोक्त तथ्य का खण्डन वादपत्र के प्रस्तर 6 से होता है जिसमें बैनामा करना वर्णित है। साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या क 116 में चमनो देवी ने अक्षरशः वही कथन किया है तथा साक्षी संख्या 1 वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र क 106 के प्रस्तर 7 एवं 8 में इकरारनामा व बैनामा करना कहा है। वादी ने अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं किया है। किसी बैनामा के गवाह को प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने विधि व्यवस्था **डॉ0 जीवन बहादुर समदर बनाम गोविन्द चरण समदर द्वितीय अपील संख्या 234/2010 निर्णय दिनांकित 30.05.2013 डब्लू. डब्लू.डब्लू.इंडियनकानून.ऑर्ग** में स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे और यह भी कहा है कि सत्यप्रतिलिपि के संदर्भ में भी उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत बैनामा 20 वर्ष से ज्यादा पुराना है और धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं उक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन और धारा–114(ङ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान पूर्णतः आकृष्ट होते हैं और उपरोक्त के संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत् है। उपरोक्तानुसार अवधारणीय बिंदु संख्या 1 निस्तारित किया जाता है।

16– <u>निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2</u>

क्या वादपत्र में वर्णित छल से संबंधित तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा साबित किया गया है ?

वादी द्वारा वादपत्र में यह वर्णित किया गया है कि भाई प्रकाश चन्द्र के ऊपर कर्ज को दिखाते हुए साजिशन तहसील से वसूली का दबाव बनाया गया। वादी ने अपने भाई के लड़के भीम सिंह व पत्नी चमनो देवी की मदद करना चाहा और प्रतिवादी ने धोखे से 24.02.1995 को इकरारनामा तैयार करा लिया तथा दिनांक 27.03.1995 को फर्द की एन्ट्री कटवाने का बहाना बनाकर बैनामा धोखे से तैयार करा लिया जबकि प्रतिवादीगण ने बयान तहरीरी के माध्यम से उसका खण्डन किया है। बैनामा संयुक्त रूप से करना कहा गया है लेकिन सिर्फ राजपाल बैनामा निरस्त कराने हेतु उपस्थित हुआ। चमनो देवी अथवा भीम सिंह द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि चमनो देवी ने बतौर साक्षी संख्या 2 साक्ष्य शपथ पत्र 116 ग प्रस्तुत किया है।

विधि व्यवस्था **एम.एम.बी.कैथोलिकॉस बनाम टी. पावलो अविरा ए.आई. आर. 1959 सु0को0 31, रविन्द्र सिंह बनाम जनमेजा सिंह (2000) 8 एस.सी.सी. 191,**

काशीनाथ बनाम जगनाथ (2003) 8 एस.सी. 740 तथा भारत संघ बनाम आर. भूशाल (2006) 6 एस.सी. 360 एवं मैनेजर,रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बनाम एस. मणि (2005) 5 एस.सी.सी. 100 में कहा है कि वादी के ऊपर दायित्व है कि वह अपने साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र के कथानक को साबित करें। उन्हें प्रतिवादी के कमियों का लाभ प्राप्त नही हो सकता। वादी साक्ष्य के दौरान नवीन केस स्थापित नही कर सकता है। उसे अभिवचन के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नही है। साक्ष्य अभिवचन के कमियों को पूरा नही कर सकता है। विधि व्यवस्था–**काशी नाथ बनाम जग नाथ (2003) 8 एस0सी0सी0 74** में माननीय न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि यदि अभिवचन और साक्ष्य में विरोधाभाषी तथ्य पाये जाते हैं तो प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है।

चूँकि प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में वादी की जिम्मेदारी वादपत्र के कथानक को साबित करने के साथ साथ प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी में वर्णित तथ्यों को खंडित करना भी है ताकि न्यायालय उचित न्याय–निर्णयन कर सके। विद्वान विचारण ने निर्णय के पृष्ठ 5 पर वर्णित किया है कि बैनामे का निष्पादन छल के आधार पर हुआ था इसको साबित करने का भार वादी पर है। प्रस्तर 20 में वर्णित है कि छल, कपट, धोखाधड़ी आदि को साबित किये जाने हेतु वादी को न केवल प्रतिवादीगण की मंशा प्रकट करनी होगी वरन् पीड़ित द्वारा उक्त धोखाधड़ी के सापेक्ष क्या कार्यवाही की गयी, यह भी बताना होगा। वादी के द्वारा उक्त धोखाधड़ी के संदर्भ में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस कार्यालय में दर्ज नहीं करायी गयी, न ही कोई चेष्टा की गयी, न ही उक्त धोखाधड़ी के साक्षेप अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत किया गया जो इन तथ्यों के साक्षी हों। ऐसी स्थिति में वादी ने धोखाधड़ी को साबित किये जाने हेतु कोई प्रबल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रस्तर 21 में वर्णित किया है कि सन् 1995 के उपरांत दिनांक 03.02.1997 को दाखिल खारिज का आदेश पारित होता है जिसके संदर्भ में भी वादी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उपरोक्त के संदर्भ में अपील मेमो में कोई कथन नहीं किया है। सिर्फ इतना कहा है कि दाखिल खारिज के आदेश से अधिकार निर्णित नहीं होते हैं।

प्रश्नगत संपत्ति किस प्रकार वादी एवं अन्य भाइयों को प्राप्त हुई, यह विवादित नहीं है और अंश से ज्यादा विक्रय का भी कोई आक्षेप नहीं है। वादी/अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत उद्धरण खतौनी कागज संख्या ग 98, ग 101 से उसकी पुष्टि होती है परंतु वादपत्र में चमनो देवी के पति का नाम प्रकाश चन्द्र व अपील मेमो में चन्द्र प्रकाश वर्णित है। मूल वाद में चमनो या भीम सिंह पक्षकार नहीं

हैं लेकिन अपील मेमो में भीम सिंह को अपीलार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, कैसे और किस आदेश से यह वर्णित नहीं है। वादी का कथन है कि वह अनपढ़ है लेकिन उसनें वादपत्र, अपील मेमो व बैनामे पर हस्ताक्षर किये हैं। चन्द्र प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द्र की मृत्यु कब हुई इसका कोई साक्ष्य नहीं हैं। उनकी मृत्यु के समय भीम सिंह की आयु क्या थी और कथित बैनामा के समय उनकी आयु क्या थी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। चमनो देवी व भीम सिंह ने बैनामा को चुनौती क्यों नहीं दिया इसका भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं है। किसी भी स्थिति में राजपाल पूर्ण बैनामा के निरस्तीकरण का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। बैनामा का निष्पादन साबित है। यह छल द्वारा कारित किया गया था इसके लिए वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है। वादपत्र के समर्थन में दो साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल किये गये हैं लेकिन किसी भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र इस संदर्भ में दाखिल नहीं है। तहसील के कर्मचारीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से ऋण जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था इस संदर्भ में कोई शिकायत किसी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राजपाल सिंह पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं और उनका बिना जाने–सुने इकरारनामा और बैनामा करना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। बैनामा करने के उपरांत छल की जानकारी होने पर किसी भी पुलिस अथवा प्राधिकारी के समक्ष शिकायत का न किया जाना भी संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार छल द्वारा बैनामा प्राप्त किया गया इसे साबित करने में वादी/अपीलार्थी असफल है जबकि गॉव के मामले में तथ्यों को साबित करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र गवाह उपस्थित हो सकते हैं। जहॉ तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया का प्रश्न है तो उसमें भी सूचना प्रेषित की जाती है, इस्तेहार होता है। यह सही है कि वह प्रक्रिया संक्षिप्त है लेकिन जानकारी के लिए पर्याप्त है। गॉव से चले जाना वर्णित है लेकिन कहॉ रहे इस संदर्भ में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत् है। उपरोक्तानुसार अवधारणीय बिंदु संख्या 2 निस्तारित किया जाता है।

17– <u>निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–3</u>

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.09.2022 विधिसम्मत हैं ?

अवधारणीय बिंदु संख्या 1 व 2 के निस्तारण के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत प्रश्नगत निर्णय व आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधिसम्मत् है।

उपरोक्तानुसार अवधारणीय बिंदु संख्या 3 निस्तारित किया जाता है।

18– विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 03.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के विद्वतापूर्ण तर्कों पर विचार करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है और अपील में वर्णित आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण **राजपाल सिंह** एवं **भीम सिंह** द्वारा प्रस्तुत **सिविल अपील संख्या–77/2022 निरस्त** किया जाता है। विद्वान सिविल जज(सी0डि0)/लघुवाद न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा मूल वाद संख्या–180/2001 राजपाल सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.09.2022 **पुष्ट** किया जाता है।

निर्णय एवं आदेश मय मूल वाद संख्या–180/2001 की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

दिनांकः–29.05.2024

(प्रकाश चन्द्र शुक्ला)
अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम,
बिजनौर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–29.05.2024

(प्रकाश चन्द्र शुक्ला)
अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम,
बिजनौर।